

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य निदेशालय  
आदेश

आ०सं-६ / एन०-१५-११८ / २०२४

/ पटना-१५, दिनांक-

श्रीमती मंजु देवी, ए०एन०एम०, सदर अस्पताल नवादा को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम ७४(बी०) सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक-६१९०, दिनांक-२७.०४.१९७९ में निहित प्रावधान के आलोक में स्वयं के बिमारी के कारण आदेश निर्गत तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृति के पश्चात श्रीमती मंजु देवी के सेवाकाल में यदि कोई सेवा अवधि अविनियमित रही हो तो उसके विनियमन का दावा विभाग में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

२—श्रीमती मंजु देवी भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

४०/-

(डा० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- ६ / एन०-१५-११८ / २०२४ १५५७(६)

पटना, दिनांक:- ३१/१२/२०२४

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्रीमति मंजु देवी, ए०एन०एम०, सदर अस्पताल नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५५७(६)  
३१.१२.२०२४

निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।